INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP20377235230463V

Signature............................

Acc. Name - Krishna Kumar
Acc. Code - UP14844804
Licence. No. - 47
Tehseel - Sidhauli, Sitapur

Certificate No.	:	IN-UP20377235230463V
Certificate Issued Date	:	21-Sep-2023 02:22 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14844804/ SIDHAULI/ UP-SPR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14844804383798218719 14V
Purchased by	:	AIM
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	AIM
Second Party	:	SECRETARY AIM
Stamp Duty Paid By	:	AIM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Please write or type below this line

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(प्रारूप–अ)

सत्र 2023–24 मे नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र

1. [illegible] हक अध्यक्ष एवं एम0 एस0 फरीदी सचिव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव ऐम ट्रस्ट पता– 529 का/229/12, पन्तनगर, खुर्रम नगर, लखनऊ–226022 शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है–

   यह कि हमारी ट्रस्ट द्वारा महाविद्यालय– ऐम कॉलेज, पता– बाड़ी, सिधौली, सीतापुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी ट्रस्ट के नाम बाड़ी, सिधौली, सीतापुर में गाटा संख्या 1889, 1891, 1892 रकबा 0.310 हे0, गाटा सं0 1890, रकबा 0. 063 हे0, गाटा संख्या 1892, 1894, 1896 ख रकबा 0.285 हे0, गाटा सं0 1898, रकबा 0.177 हेक्टे0 है। कुल रकबा 0.835 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1889, 1891, 1892 रकबा 0.310 हे0, गाटा सं0 1890, रकबा 0. 063 हे0, गाटा संख्या 1892, 1894, 1896 ख रकबा 0.285 हे0, गाटा सं0 1898, रकबा 0.177 हेक्टे0 है। कुल रकबा 0.835 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक .... द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्से के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया , नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया ,नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमादित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय /महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है और न ही भविष्य मे कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया , नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरिक्षण मे मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरिक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 सचिव

ह0 अध्यक्ष

5711 ... and Verified before me

21.9.23

रमेश चन्द्र

एडवोकेट नोटरी

सिधौली (सीतापुर)